राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1061/2017..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स अतिथि रेजीडेंसी इन्न प्रा0 लिमिटेड, 4 बरवाड़ा हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/07/2017	**खण्डपीठ** **श्री नत्थूराम, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं.87/17–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एक होटल व्यवसायी है, जिसके द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2013–14 के दौरान ओनलाईन जनरेटेड 'सी' फॉर्मों के समर्थन से वुड, वैक्यूम प्लाईवुड, टाईल्स, ब्रिक्स, ए.सी. एवं जनरेटर आदि राज्य के बाहर से आयात किये गये। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी', जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के उक्त कृत्य को 'सी' फॉर्म के दुरूपयोग एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10(डी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 10(ए)(1) के तहत कर रूपये 9,82,517/– एवं कर की डेढ़ गुणा शास्ति रूपये 14,73,776/– कुल रूपये 24,56,293/– का आरोपण आदेश दिनांक 19.12.2016 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग राशि में से वसूली योग्य मांग राशि रूपये 23,57,293/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय आदेश दिनांक 16.06.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल मांग राशि में से रूपये 14,00,000/– की राशि की वसूली स्थगित करते हुए शेष राशि वसूलनीय अवधारित की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 9,57,293/– की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ~~अपीलार्थी~~ श्री विवेक सिंघल ने कथन किया कि विवादित माल अपीलार्थी के पंजीयन प्रमाण–पत्र में अंकित हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त माल 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयात करने हेतु अधिकृत है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के घोषणा पत्रों का दुरूपयोग मानते हुए कर एवं शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10(डी) के लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1061/2017..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स अतिथि रेजीडेंसी इन्न प्रा0 लिमिटेड, 4 बरवाड़ा हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/07/2017	उल्लंघन के आधार पर धारा 10(ए) के तहत केवल शास्ति आरोपणीय है, कर का आरोपण नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर का आरोपण प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी शास्ति राशि को स्थगित करते हुए कर को वसूलनीय अवधारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए कर राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी एक होटल व्यवसायी है, जबकि आयातित माल किसी प्रकार उसके व्यवसाय की खरीद–बिक्री से सम्बन्धित नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा पत्रों का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर राशि के अलावा शास्ति राशि को भी आंशिक रूप से स्थगित करते हुए अपीलार्थी को अधिकतम राहत दी जा चुकी है अतः अब सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों तथा विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मूल विवाद केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत 'सी' फॉर्म का गलत उपयोग का था तब धारा 10(ए) के तहत शास्ति आरोपित करने के साथ कर भी आरोपित कर दिया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी ने विधि के प्रावधानों के दृष्टिगत कर आरोपणीय नहीं मानते हुए कर की पूरी राशि रूपये 9,82,517/– एवं धारा 10(ए) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 14,73,776/– में से रूपये 4,91,259/– का भी स्थगन प्रदान कर दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड सदस्य राजस्थान कर बोर्ड	